

संख्या-I/217408/24/XXIV-C-4/2024-01(11)/2019(E-58313)

प्रेषक,

ब्योमकेश दूबे,

उप सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रभारी निदेशक,

उच्च शिक्षा विभाग,

हल्द्वानी, नैनीताल।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून : दिनांक 11 जून, 2024

विषय-राजकीय महाविद्यालयों में छात्र शुल्क में एकरूपता लाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 07 जून, 2024 के माध्यम से प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में छात्र शुल्क में एकरूपता लाये जाने सम्बन्धी उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 से राजकीय महाविद्यालयों में निम्नानुसार शुल्क निर्धारण की सहमति प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	विषय	शुल्क
01	प्रवेश शुल्क	3.00
02	पुस्तकालय शुल्क (स्नातक/स्नातकोत्तर)	3.00 / 10.00
03	विकास शुल्क	20.00
04	महंगाई शुल्क	240.00
05	प्रयोगशाला शुल्क	240.00
06	विद्युत एवं जल शुल्क	60.00
07	विविध	100.00
08	पत्रिका शुल्क	50.00
09	वाचनालय शुल्क	30.00
10	विभागीय परिषद शुल्क	50.00
11	निर्धन छात्र सहायता शुल्क	10.00
12	परिचय पत्र शुल्क	25.00
13	छात्र संघ	45.00
14	रोवर रेंजर	30.00
15	महाविद्यालय दिवस	20.00
16	सांस्कृतिक परिषद	45.00
17	महाविद्यालय प्रांगण विकास	50.00
18	कम्प्यूटर इन्टरनेट शुल्क	80.00
19	जेनरेटर शुल्क	50.00

20	प्रयोगशाला सामग्री शुल्क	60.00
21	कैरियर काउन्सिलिंग	30.00
22	प्रशासन शुल्क	50.00
23	क्रीडा शुल्क	300.00
24	प्रायोगिक मौखिक शुल्क (प्रति विषय)	50.00
25	पी0टी0ए0	30.00
26	कॉशनमनी	200.00
योग		स्नातक—1871.00 स्नातकोत्तर—1878.00

2. परीक्षा शुल्क पूर्व की भांति विश्वविद्यालय के नियमानुसार ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय ऑनलाईन जमा किया जायेगा। क्रीडा शुल्क का विश्वविद्यालय अंश, महासंघ शुल्क, वि0वि0 सांस्कृतिक परिषद शुल्क आदि वि0वि0 द्वारा निर्धारित किया जायेगा तथा परीक्षा शुल्क के साथ जमा किया जायेगा।
3. शासकीय सहायता से संचालित व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का शुल्क भी उपरोक्तानुसार लिया जायेगा।
4. कृपया तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय  
**Signed by Byomkesh Dubey**  
**Date: 11-06-2024 20:10:38**

(ब्योमकेश दूबे)  
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक : तदैव।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रभारी निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग।
4. निजी सचिव, सचिव उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. गार्ड फाइल।

(ब्योमकेश दूबे)  
उप सचिव।